भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

प्रेस नोट सं. 3 (2012 श्रृंखला)

विषय: पाकिस्तान से निवेशों को अनुमति देना-विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति की समीक्षा।

1.0 वर्तमान स्थिति

1.1 10 अप्रैल, 2012 से प्रभावी "2012 का परिपत्र 1- समेकित एफडीआई नीति" के पैरा 3.1.1 के अनुसार पाकिस्तान के किसी नागरिक अथवा पाकिस्तान में निगमित किसी कंपनी को निवेश की अनुमति नहीं है।

2.0 संशोधित स्थिति

2.1 भारत सरकार ने उक्त परिपत्र का पैरा 3.1.1 में दिए गए अनुसार नीति की समीक्षा की है तथा पाकिस्तान के किसी नागरिक अथवा पाकिस्तान में निगमित किसी कंपनी को रक्षा, अंतरिक्ष तथा आणविक ऊर्जा क्षेत्रों/गतिविधियों को छोड़कर सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

3.0 पैरा 3.1.1 के लिए संशोधन

3.1 तद्नुसार 10 अप्रैल, 2012 से प्रभावी '2012 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति' के पैरा 3.1.1 को नीचे दिए गए अनुसार संशोधित किया जाता है:

"3.1.1 कोई अनिवासी व्यक्ति एफडीआई नीति के अधीन भारत में निवेश कर सकता है। बंगलादेश का कोई नागरिक अथवा बंगलादेश में निगमित कंपनी सरकारी अनुमोदन मार्ग से ही निवेश कर सकती है। पाकिस्तान का कोई भी नागरिक अथवा पाकिस्तान में निगमित कोई कंपनी रक्षा, अंतरिक्ष तथा आणविक ऊर्जा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों/गतिविधियों में सरकारी अनुमोदन मार्ग से ही निवेश कर सकती है।''

4.0 उपर्युक्त निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

(अंजली प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, फा.सं.: 5/10/2011-एफसी-I दिनांक 1 अगस्त, 2012